



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

140
25/5

P.C. 11/193
P.C. 401

सं. 20]
No. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 23, 1987/ज्येष्ठ 2, 1989
NEW DELHI, SATURDAY, MAY 23, 1987/JYAISTHA 2, 1989

1/2 Defence
K.M. 15
C.P.B. - 385

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सार्वभौमिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 अप्रैल 1987

का. नि. आ. 156.—केन्द्रीय सरकार, नौसेना अधिनियम 1957
(1957 का 62) की धारा 82 की उपधारा (16) के साथ पठित धारा
184 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नौसेना (अनुशासन और
प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए, निम्न-
लिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

- (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) विनियम, 1986 है।
- (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) विनियम, 1965 के अध्याय III में विनियम 215 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

215क.—आफिसरों की बाबत अनुचित अनुपस्थिति के लिए वेतन और भत्तों का अपकर्तन—

अपकर्तन का मापमान—(1) ऐसा कोई आफिसर जो नौसेना अधिकरण द्वारा छुट्टी के बिना या अपने पीत या कर्तव्य स्थात की अनुचित रूप से छोड़ते हुए अनुपस्थित पाया जाता है, तो वह नौसेना अधिकरण द्वारा अन्यथा दिए किसी अन्य दण्ड के अतिरिक्त प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति या उसके

भाग के लिए एक दिन के अपकर्तन की दर पर, वेतन और भत्तों के अपकर्तन से दण्डित किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए एक दिन के वेतन के अंतर्गत पूर्ण वेतन और भत्ते होंगे, किन्तु इसके अंतर्गत किए गए उसको बनाए रखने के भत्ते सम्मिलित नहीं होंगे।

(3) अपकर्तन का मापमान उन आफिसरों को जो अमिष्यजन के बोधी पाए जाते हैं, लागू नहीं होगा।

(4) वेतन और भत्तों के अपकर्तन के अपराधी के खाते में से ज्येष्ठता के सम्पहरण की दशा में, ऐसे दण्ड द्वारा क्या उत्पातित एक मुक्त रकम निकालित की जाएगी और इस प्रकार निकालित रकम को अपराध के लिए निश्चित जमाने के रूप में माना जाएगा और उसे जब कभी वेतन में भूतलक्षी प्रभाव से कोई वृद्धि मंजूर की जाती है या जब किसी अपराधी को उन दिनों के लिए, जिनके लिए पूर्ण रूप से अन्यथा अपकर्तन किया गया होता, वृद्धि की गई उपलब्धि के अतिशेष को जमा किया जाए, वाद में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(5) उपविनियम (1) से (4) के उपबंध उन आफिसरों को लागू नहीं होंगे जो केवल अपने पीत के किसी भाग से अनुपस्थित हैं।

(6) अनुपस्थिति की अवधि की गणना —

(i) आरोप में सम्मिलित की गई अनुचित अनुपस्थिति की अवधि की गणना, सर्वथा उस समय से जब छुट्टी समाप्त होती है

Attested

(189)

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

207 GI/87

of pay is granted with retrospective effect, or when an offender may be credited with the balance of the increased emoluments for days upon which he would otherwise have been mulcted in full.

(5) The provisions of sub-regulations (1) to (4) above shall not apply to officers who are only absent from a part of their ship.

(6) Calculation of Period of Absence—(i) The period of improper absence included in the charge shall strictly be computed from the time when leave expires (or the time of breaking out) until the time of return to the ship or place of duty.
(ii) When an officer surrenders, or is apprehended as an absentee away from his ship or place of duty or the locality in which his leave expires, the Commanding Officer may, having regard to the circumstances, consider the absence as having terminated at the time of such surrender or apprehension.

(iii) When an absentee is arrested by the civil authority on another charge and is subsequently handed over to the naval authorities, his absence without leave shall be regarded as ceasing from the time of his arrest by the civil authority.

215B. Mulcts of Pay and Allowances for Improper Absence in Respect of Sailors on Conviction by a Court Martial : Every sailor who is found guilty of absence without leave or improperly leaving his ship or place of duty by a Court Martial under section 51 of the Act; shall be awarded Mulcts of pay and allowances as provided in Regulations 41 to 49 of Regulations for the Navy Part II.

NOTE : The principal regulations were published in the Extra Ordinary Gazette of India, Part II, section 4, dated the 6th March, 1965 under No. S.R.O. 2(E) and subsequently amended vide —

Sl. No. Regulations Amended Authority for Amendment viz. S.R.O. No.

1	2	3
1.	209(9)	15E dated 15-5-67 (No. 183/67)
2.	211 [Substitution of Sub-Regulation (1)]	3E dated 27-3-68 (No. 546/68)
3.	7, 12, 21, 38, 41, 43, 65, 68, 70, 76	8E dated 8-7-68
4.	New Regulation 7A inserted	126 dated 5-1-70
5.	198 Sub-Regulation (i) to be substituted	65 dated 5-1-70
6.	198 Sub-Regulation (ii) to be inserted	314 dated 14-8-71
7.	7, 13, 30, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 53, 56, 59, 78, 84, 222, 225, 234, Appendix I	Year 1973
8.	73, 86, to be substituted Appendix I in form 4 to be amended	37 dated 20-12-73
9.	Throughout the Regulations for the work 'draft' and the word 'advancement' wherever occurs the word 'transfer' & the word 'promotion' shall be substituted	360 dated 10 Nov 75
10.	7, 13, 16, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 50, 51, 53, 56, 59, 63, 74, 84, 103, 119, 222, 223, 234, and Appendix I amended.	199/74 dated 10-9-74

1	2
11.	189 2 dated 23 Dec 78
12.	2, 5, 7A, 13, 14, 15, 16, 19, 29, 34, 37, 38, 40, 41, 51 to 54. (to be omitted) 55, 56, 58, 59, 63, 64, Heading of Chapter III, 74, 79, 80, 81; (to be omitted) 82, 83, 84, 93, 94, 114A to be inserted, 115, 121, 136, 138, 139, 146, 155, 158, 177, 185A to be inserted. Addition of Central heading before 187, 193A to be inserted, 209, 215; 216, 219, 222, 226, 230, 231, 232, 239. Appendix II and Appendix IV inserted.
13.	7A, 13, 15 amended. 37A. Chapter IV—A and Appendix V inserted. SRO 163 dated 22 Apr 1983

[File No. MF-DL/0898/15]
H. N. NAYAR, Under Secy

नई दिल्ली, 6 मई, 1987

का. नि. मा. 157.—केन्द्रीय सरकार सेना अधिनियम, 1950 (1950 का 46) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कमांडर सं. 2 सिग्नल ग्रुप को, जो ऐसे सैनिक संगठन का समावेदन करने वाला अधिकारी है, जो केन्द्रीय सरकार की राय में विरोध से कम नहीं है, ऐसा अधिकारी विहित करती है, जिसके द्वारा ऐसे व्यक्तियों के संबंध में जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों उसके अधीन सेवारत हैं, उन शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा जिनका प्रयोग उक्त अधिनियम के अधीन किसी विरोध का समावेदन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है।

[फाइल सं. 41776/ए.जी.डी.बी.-1]

एम. एस. सोखान्दा, डी. सेक्य (ए.जी.)

New Delhi, the 6th May, 1987

S.R.O. 157.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Army Act, 1950 (46 of 1950), the Central Government hereby prescribes the Commander, No. 2 Signal Group, an officer commanding a military organisation, which in the opinion of the Central Government is not less than a brigade, as the officer by whom the powers which under the said Act may be exercised by an officer commanding a brigade, shall as regards persons subject to said Act who are serving under him, be exercised.

[File No. 41776/AG/DV-1]
M. S. SOKHANDA, Dy. Secy. (AG)

नई दिल्ली, 4 मई, 1987

का. नि. मा. 158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में धीरे-धीरे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1987 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 के नियम 8 उपनियम (1) के बंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित बंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

- (क) वैज्ञानिक "ब" की श्रेणी की रिक्तियां 90% सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और 10% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी। जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी। ऐसे सभी वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिक जिन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास अनुसूची 3 में वैज्ञानिक "ब" पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं हैं, उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जिसके लिए कोई उच्चतर आयु की सीमा नहीं होगी। किसी अभ्यर्थी को ऐसी परीक्षा में तीन बार से अधिक बैठने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसा करना किसी ऐसे अभिवादा के अन्तर्गत नहीं आता जो समय-समय पर इस निमित्त सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग रक्षा मन्त्रालय द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होगा।

[10351/डो डार डी एस/डार डी/कार्मिक-1/1826-डो (डार एंड डी)]

दुर्गादास, अवर सचिव

टिप्पण : रक्षा अनुसंधान और विकास नियम, का. नि. भा. 8, तारीख 30 दिसम्बर, 1978 के रूप में भारत के राजपत्र भाग 2, बंड 4, में प्रकाशित हुए थे और तत्पश्चात् इनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :

- का. नि. भा. 307, तारीख 10 अक्टूबर, 1980
का. नि. भा. 196, तारीख 2 अगस्त, 1982
का. नि. भा. 159, तारीख 5 अगस्त, 1983
का. नि. भा. 176, तारीख 7 अगस्त, 1984
का. नि. भा. 228, तारीख 13 नवम्बर, 1984
का. नि. भा. 170, तारीख 12 जुलाई, 1985
का. नि. भा. 186, तारीख 2 अगस्त, 1985
का. नि. भा. 228 तारीख 6 जून, 1986

New Delhi, the 4th May, 1987.

S.R.O. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to further amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1987.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979, in rule 8, in sub-rule (1), for clause (a) the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) The vacancies in the grade of Scientist 'B' shall be filled 90 per cent direct recruitment; and 10 per cent through a limited departmental competitive examination failing which by direct recruitment. All Scientific and technical personnel having 5 years regular service in Defence Research and Development Organisation and possessing the educational qualifications prescribed for the post of Scientist 'B' in Schedule III shall be eligible to appear at the said examination for which there shall be no upper age limit. Unless covered by any of the exceptions that may, from time to time, be notified by the Government in this behalf no candidate shall be permitted to avail of more than three chances at the examination. The conduct of the limited departmental competitive examination shall be governed by regulations made by the Department of Defence Research and Development, Ministry of Defence.

[No. 10351/DRDS/RD/Pers-1/1826-D(R&D)]
DURGA DASS, Under Secy.

NOTE : The Defence Research and Development Services Rules were published in the Gazette of India Part II, section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978 have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986.

Attested

[Signature]

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54